डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

पीठासीन अधिकारी:– सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

सीताराम पुत्र गोपी निवासी एदलपुर तहसील टोडाभीम।

सायल

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र ग़ोपी मीना
2. विश्राम पुत्र चिम्मू मीना
3. हरि पुत्र गोपी मीना
4. राजेश पुत्र रामप्रसाद मीना
   समस्त जातियान मीना निवासी एदलपुर तहसील टोडाभीम
5. तहसीलदार टोडाभीम।
6. बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैक शाखा टोडाभीम।
7. सहकारी भूमि विकास बैक शाखा टोडाभीम जिला करौली।
8. बैक ऑफ बडौदा शाखा बालघाट।
9. उप पंजीयक टोडाभीम।

गैरसायलान

दावा बावत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0:– 01/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री हसंराम गूर्जर एडवोकेट व श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, व डिक्री दी जाती है कि

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दावा बावत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है।

निज......................मुबलिंग............................बाबत.........................खर्चा इस मुकदमे के मय शुद बशरह....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.............. अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 09.02.2024 को जारी की गई।

(सुनीता मीना)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक ...

टो... ...–गंगापुर सि...

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:22:39 IST
Reason: SelfAttested

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

न0:–01/2019

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

रजू दिनांकः– 04.01.2019

न0:–01/2019

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना (आर.ए.एस)

उनवान

सीताराम पुत्र गोपी निवासी एदलपुर तहसील टोडाभीम।

सायल

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र गोपी मीना
2. विश्राम पुत्र चिम्मू मीना
3. हरि पुत्र गोपी मीना
4. राजेश पुत्र रामप्रसाद मीना
   समस्त जातियान मीना निवासी एदलपुर तहसील टोडाभीम
5. तहसीलदार टोडाभीम।
6. बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैक शाखा टोडाभीम।
7. सहकारी भूमि विकास बैक शाखा टोडाभीम जिला करौली।
8. बैक ऑफ बडौदा शाखा बालघाट।
9. उप पंजीयक टोडाभीम।

गैरसायलान

दावा बावत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट वादी

श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट प्रतिवादी न0 7

निर्णय

दिनांक:- 09-02-2024

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम एदलपुर की आराजीयात ख0न0 190/0.14, 191/0.28, 194/0.04, 197/0.01, 199/0.45, 343/0.29, 344/0.15, 347/0.29, 348/0.48, 349/0.56, 350/0.65, 351/0.04, 352/0.49, 353/0.37, 354/0.23, 360/0.09, 363/0.10, 388/0.41, 437/0.23, 689/806/0.17, 690/0.32, 693/0.28, कुल किता 22 कुल रकवा 6.07 है0, सायल 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। बकिया हिस्से के प्रतिवादी न0 1 ता 4 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। तथा ख0न0 615/0.01, 616/1.05 कुल किता 2 कुल रकवा 1.06 है0 मे सायल 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। बकिया हिस्से के प्रतिवादी [illegible] खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वादी व प्रतिवादीगण ने मौके पर बाहमी बटवारा कर रखा है। तथा अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। परन्तु गैरसायलान सायल के हिस्से [illegible] पर जबरदस्ती कब्जा करने की तथा बिना विधिक बटवारे के भूमि वर्णित उक्त [illegible] को रहन–व्यय करने पर आमदा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:22:39 IST
Reason: SelfAttested

बॉका दिनांक 02.01.2019 को सायल अपने हिस्से की भूमि पर बोई हुई सरसो की फसल की देखरेख कर रहा था कि प्रतिवादी न0 1 ता 4 मौके पर आये और सायल ने कहा कि हम तेरे हिस्से की भूमि को किसी दीगर व्यक्ति को रहन व्यय करेगे सायल ने उनको काफी समझाया

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला–गंगापुर सिटी

किन वे नही माने और अपनी हटधर्मिता पर अडिग है। इसलिये दावा पेश करना आवश्यक हुआ ।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण प्राथमिक डिक्री फरमाई जाकर ग्राम एदलपुर की ाराजीयात 190/0.14, 191/0.28, 194/0.04, 197/0.01, 199/0.45, 343/0.29, 344/0.15, 47/0.29, 348/0.48, 349/0.56, 350/0.65, 351/0.04, 352/0.49, 353/0.37, 354/0.23, 60/0.09, 363/0.10, 388/0.41, 437/0.23, 689/806/0.17, 690/0.32, 693/0.28, कुल केता 22 कुल रकवा 6.07 है0 तथा ख0न0 615/0.01, 616/1.05 कुल किता 2 कुल रकवा 1.06 0 मे मौके व कब्जे अनुसार वादीगण की बटवारा स्कीम तलब फरमाई जावे, तथा बाद जॉच रिपोर्ट कमिश्नर फाईनल डिक्री पारित फरमाई जावे। तथा वर्णित आराजीयात को रहन व्यय नही करे, रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान 10 1 ता 6 तथा 8, 9 बावजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय ार्यवाही की गई। गैरसायल न0 7 ने जरिये वकालतन जबाब पेश किया कि वादी द्वारा दिनांक 31. 3.2023 को प्रतिवादी न0 7 से 2,00,000/– अक्षरे दो लाख रूपये अक्षरे उद्योग हेतु ऋण लिया था जेसका वादी द्वारा समय–समय पर निर्धारित किश्तो का भुगतान नही किया गया। इसलिये दिनांक 1.03.2016 को 580712 रूपये अवधिपार हो गये। इस प्रकार प्रतिवादी न0 7 द्वारा बार–बार तकादा केये जाने पर भी वादी द्वारा प्रतिवादी न0 7 को भुगतान नही किये जाने पर प्रतिवादी न0 7 द्वारा बैक द्वारा वादी के खिलाफ 3 बार नीलामी की कार्यवाही की गई तब भी वसूली नही होने के पर अन्तर्गत धारा 103 सोसायटीज एक्ट वादी के खिलाफ माननीय न्यायालय जिला कलक्टर महोदय करौली के समक्ष प्रकरण पेश किया गया, जिसमे बाद सुनवाई माननीय जिला कलक्टर द्वारा मु0न0 12/18 उनवान भूमि विकास बैक बनाम सीताराम मे दिनांक 21.03.2018 को वादी द्वारा गैरसायल न0 7 के यहा रहनशुदा विवादित आराजी रकवा 1.06 है0 हिस्सा 1/3 व रकवा 6.07 है0 हिस्सा 1/6 को प्रतिवादी न0 7 के नाम अन्तरण करने का निर्णय पारित किया गया। वास्तव मे सायल द्वारा माननीय न्यायालय जिला कलक्टर महोदय के निर्णय की पालना ना हो इसलिये दावा, बिल्कुल गलत व झूठे तथ्यो के आधार पर पेश किया है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र मेटेरियल तथ्यो को छिपाते हुये यह दावा पेश किया है। इस प्रकार वादी ने अपना दावा क्लिनहैण्ड से पेश नही किया है। इसलिये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वादी वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वाद मे वर्णित आराजीयात मे जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सेनुसार का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है, वादी व प्रतिवादीगण ने मौके पर बाहमी बटवारा कर रखा है। तथा अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। परन्तु प्रतिवादीगण न0 1 ता 4, वादी के हिस्से की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने की तथा बिना विधिक बटवारे के भूमि वर्णित उक्त आराजीयात को रहन–व्यय करने पर आमदा है। प्रतिवादी न0 7 ने अपने जबाब दावा गलत व झूठे तथ्य पेश किये है। इसलिये दावा बावत तकास्मा एवं स्वीकार फरमाया जाकर रिकार्ड व मौके अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर बटवारा स्कीम तलब फरमाई जाकर बाद जॉच फाईनल डिक्री की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:42:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी न0 7 के वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे [illegible] को दोहरान करते हुये कथन किया कि वादी ने समस्त मेटेरियल फेक्ट को छिपाते [illegible] तथ्यो के आधार पर पेश किया है। वादी द्वारा दिनांक 31.03.2023 [illegible] अक्षरे दो लाख रूपये अक्षरे उद्योग हेतु ऋण लिया, जिसका वादी द्वारा समय–समय पर निर्धारित किश्तो का भुगतान नही किया गया। जो दिनांक 31.03.20166 को 580712 रू[illegible] अवधिपार हो गये। प्रतिवादी न0 7 द्वारा बार–बार तकादा किये जाने पर भी वादी द्वारा भुगतान नही किये जाने पर बैक द्वारा वादी के खिलाफ 3 बार नीलामी की कार्यवाही की गई, तब भी वसूली नही होने पर अन्तर्गत धारा 103 सोसायटीज एक्ट वादी के खिलाफ माननीय न्यायालय जिला कलक्टर महोदय करौली के समक्ष

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला–गंगापुर सिटी

पेश किया गया, जिसमे माननीय न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा मु0न0 12/18 उनवान भूमि बैक बनाम सीताराम मे दिनांक 21.03.2018 को वादी द्वारा गैरसायल न0 7 के यहा रहनशुदा आराजी रकवा 1.06 है0 हिस्सा 1/3 व रकवा 6.07 है0 हिस्सा 1/6 को प्रतिवादी न0 7 म अन्तरण करने का निर्णय पारित किया गया। वास्तव मे वादी द्वारा माननीय न्यायालय जिला टर महोदय के निर्णय की पालना ना हो इसलिये दावा, बिल्कुल गलत व झूठे तथ्यो के आधार शि किया है। अतः वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मेटेरियल तथ्यो को छिपाते हुये यह पेश किया है। इस प्रकार वादी ने अपना दावा स्वच्छ हाथो से पेश नही किया है। अतः वादी दावा हैवी कॉस्ट खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात का लोकन किया पत्रावली मे शामिल ग्राम एदलपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या मे कुल किता 22 कुल रकवा 6.07 है0 मे सायल हरि, सीताराम पुत्र गोपी हिस्सा 1/3 राहिन विकास बैक शाखा टोडाभीम मुर्तहीन रिकार्ड दर्ज है। तथा प्रतिवादी न0 1 रामप्रसाद पुत्र गोपी स्सा 1/6, प्रतिवादी न0 2 विश्राम पुत्र चिम्मू हिस्सा 1/4, प्रतिवादी न0 4 राजेश पुत्र रामप्रसाद, गिलासी पत्नि रामप्रसाद हिस्सा 1/4 के खातेदार दर्ज रिकार्ड है। तथा खाता संख्या 95 मे कुल ता 2 कुल रकवा 1.06 है0 मे हरि, सीतारा पि0 गोपी हिस्सा ब. 2/3 राहिन हिण्डौन सहकारी मि विकास बैक शाखा टोडाभीम सा.देह खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादी न0 7 द्वारा स्तुत पत्रावली मे शामिल माननीय न्यायालय जिला कलक्टर महोदय करौली द्वारा मु0न0 12/2018 नवान हिण्डौन भूमि विकास बैक शाखा हिण्डौन बनाम सीताराम पुत्र गोपीराम मे पारित निर्णय दिनांक 10.09.2018 द्वारा वादपत्र मे वर्णित आराजीयात को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के अन्तर्गत हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैक लि0 शाखा हिण्डौन के पक्ष मे अंतरित किये जाने का आदेश दिया हुआ है, और वादी द्वारा माननीय न्यायालय जिला कलक्टर महोदय करौली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.09.2018 के पश्चात ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली मे पेश नही किया है जिससे प्रकरण वादी के पक्ष मे साबित होता हो।, वादी द्वारा दावा बटवारे का पेश किया है। जो माननीय न्यायालय जिला कलक्टर महोदय करौली के परिप्रेक्ष्य मे स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दावा बावत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:22:39 IST
Reason: SelfAttested